अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प० 15(1)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांकः 14 MAR 2018

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा , समस्त।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, समस्त।

विषयः– ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा परिपत्र एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 जारी किया गया, जिसके अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पृथक से आज्ञा जारी कर ग्राम पचांयत के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किये जाने एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सौंपे गये विभिन्न दायित्वों का निवर्हन करने के लिए सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में सहयोग का कार्य ग्राम पंचायत सहायक द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त परिपत्र में ग्राम पंचायत सहायक के चयन, कर्त्तव्य एवं दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है।

तद्नुसार स्कूल शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनांक 28.01.2017 द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी एक राउमावि/रामावि के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को ग्राम पचांयत परिक्षेत्र में अवस्थित राउप्रावि/प्रावि के लिए **पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी** नामित किया जाकर कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग परिपत्र एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के परिप्रेक्ष्य में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने बाबत् दिशा–निर्देश दिनांक **01.02.2017** एवं **08.02.2017** को जारी किये गये है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 11.04.02017 को जारी किये गये है। **विभाग द्वारा पंचायती राज**

www.rajteachers.com

विभाग के अनुमोदन उपरांत दिनांक 29.05.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है (परिशिष्ठ–1)। ग्राम पंचायत सहायकों के दायत्वि एवं कार्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते है :–

1. ग्राम पचांयत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन बाबत् सौंपे गये विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
2. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के मासिक निरीक्षण से सम्बन्धित आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आयोजित की जाने वाली समस्त बैठकों के आयोजन एवं प्रबंधन से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
4. ग्राम पंचायत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोडने के लिए उक्त आयु वर्ग के बच्चों के चिन्हीकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
5. ग्राम पंचायत में अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हीकरण करते हुए पंचायत की बैठकों/विद्यालय की विकास समिति/प्रबंधन समिति की बैठकों में पंचायत के नागरिकों/अभिभावकों को बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करवाने के संबंध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
6. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, नामांकन वृद्धि, आधारभूत संरचना विकास आदि के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने एवं विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण व कियान्वयन के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य।
7. ग्राम पंचायत में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के विकास एवं निर्माण में भामाशाहों/दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क एवं सहयोग प्राप्त करने हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
8. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य संपादन के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य।
9. राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
10. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयों की समस्त प्रकार की सूचनाओं के शाला दर्शन/शाला दर्पण/अन्य पोर्टल पर आदान–प्रदान/अपडेशन/प्रविष्ठि के संबंध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
11. ग्राम पंचायत में स्थित सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावक–अध्यापक परिषद की बैठकों में ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं के बारे में अवगत/जानकारी कराये जाने के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
12. ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में प्रारम्भिक शिक्षा की शिक्षण व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान किये जाने हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।

www.rajteachers.com

13. ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) से सम्बन्धित कार्य करेंगे।
14. पंचायत सहायक ग्रामीण जन को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।
15. स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय योगदान कर पंचायत के नागरिकों को प्रेरित करेंगे।
16. ग्राम पचांयत के राजकीय कार्यों में ग्राम पंचायत सहायकों का सहयोग लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण से सम्बन्धित कार्यों में यदि में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता, अनुशासनहीनता की जाती है तो पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग के आदेश कमांक एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/832 दिनांक 8.11.2016 के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत सहायक के पृथक्करण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद/अनुतोष के अधिकारी नहीं होंगे।

ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित कार्य संतोषप्रद पूर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को प्रतिमाह 05 तारीख तक **परिशिष्ठ–2** पर उपलब्ध प्रारूप में प्रेषित किया जायेगा। तद्नुसार ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को मानदेय भुगतान किया जायेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
7. जिला कलक्टर – समस्त।
8. उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
10. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
11. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
13. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

शासन उप सचिव

परिशिष्ट -I

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प॰ 15(1)प्राशि / 2017 जयपुर, दिनांकः 29 MAY 2017

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक– समस्त।

विषयः– **ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालय के संबंध में।**

राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प॰ 15(1)प्राशि / 2017 दिनांक 28.01.2017 एवं पत्रांक प॰ 1(24)प्राशि / आयो. / 2015 दिनांक 01.02.2017 के क्रम में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये **ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।**

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

29/5/17
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री,शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग(स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
9. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
10. जिला कलक्टर – समस्त।
11. उप निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
13. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
14. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
15. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

कार्यालय पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत, ... पं.स. ...... जिला.....

क्रमांक : दिनांक :

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,

ग्राम पंचायत ....

पंचायत समिति ....

विषय :– ग्राम पंचायत सहायकों के माह .... के मानदेय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध मे प्रमाणीकरण।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमाणित किया जाता है कि माह .... में निम्नांकित ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा उनको आवंटित कार्य का संतोषप्रद तरीके से निष्पादन किया गया है।

अतः इन्हें माह .... के मानदेय का भुगतान किया जावे।

1. ....

2. ....

www.rajteachers.com

3. ....

4. ....

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी